हरिजनों और आदिवासियों की शिक्षा

658. **श्री लक्खी राम अग्रवाल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हरिजनों और आदिवासियों की शिक्षा के लिये राज्य सरकारों को धनराशि आवंटित करने का विचार रखती है, और यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिए कितनी राशि स्वीकार करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के हरिजन और आदिवासी छात्रों को प्रति छात्र दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों की तुलना में बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मूल्य-सूचकांक के आधार पर प्रत्येक छात्र-वृत्ति की राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राज्यों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियो के छात्रो के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्तियों, निम्न स्तरीय धंधों में लगे बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक/छात्रवृत्तियों में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावास तथा प्रशिक्षण और सम्बद्ध योजनाओं जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धन मुक्त किया जाता है। पृथक-पृथक राज्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर योजना अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष आवंटन किये जाते हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को अदा की गयी छात्र-वृत्तियों की राशि राज्य सरकार द्वारा दी गयी राशि से कम नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Laws on Women

659. DR. RATNAKAR PANDEY:
SHRI KAPIL VERMA:
SHRI BEKUL UTSAHI :
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased state:

(a) what are the laws relating to women, particularly those meant to deal with cases of dowry, sati, indecent representation and immoral traffic;

(b) whether Government propose to amend these laws to make them more effective ; and

(c) if so, the details of the amendments to be brought about?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) : (KUMARI MAMTA BANERJEE): (a) the Department of Women and Child Development is implementing the following four laws relating to women; viz;

1. The Dowry Prohibition Act, 1961;

2. The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987;

3. The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 and

4. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.

(b) and (c) Government has decided to amend these laws in order to make them more effective and stringent.

Aluminium Plants

660. SHRI JAGADISH JANI : Will the Minister of MINES be pleased to state :

(a) whether Government have a proposal to set up some Aluminium plants during 8th Five Year Plan;